राजस्थान–सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राज0 जयपुर

क्रमांकः– एफ4(ई) (वी–633/86)अलेसे–III/5265-72. दिनांकः– 26-8-14

कार्यालय आदेश

श्री विष्णु कुमार पाठक, क0लेखाकार कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, भरतपुर के विरूद्ध महानिरीक्षक, पुलिस–द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर द्वारा अपराध सं. 184/10 पंजीबद्व होने के कारण विभागीय आदेश क्रमांक 5939–48 दिनांक 13.07.2010 के द्वारा निलम्बित किया गया था तथा निलम्बन काल में मुख्यालय कोषालय, दौसा में रखा गया था। निलम्बित कार्मिकों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी की दिनांक 06.08.2014 को बैठक आयोजित की गई जिसमें समीक्षा की जाकर श्री विष्णु कुमार पाठक, कनिष्ठ लेखाकार को निलम्बन से बहाल किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतः वित्त (राजस्व) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक प.2(3)वित्त/राजस्व /2014 दिनांक 14.08.2014 के अनुसरण में श्री विष्णु कुमार पाठक, निलम्बित, कनिष्ठ लेखाकार का पदस्थापन कार्यालय वित्तीय सलाहकार, सिचिंत क्षेत्र विकास विभाग, चम्बल, कोटा में रिक्त पद पर किया जाता है । श्री पाठक की बहाली इनके उक्त कार्यालय में कार्यग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी । उक्त बहाली माननीय न्यायालय के निर्णय तथा विभागीय जांच के निर्णय के अध्यधीन रहेगी। निलम्बन अवधि का निर्णय माननीय न्यायालय के निर्णय के पश्चात् किया जावेगा।

उक्त आदेश राज्य सरकार, वित्त (राजस्व) विभाग का पत्र क्रमांक प–2(3) वित्त/राजस्व/2014 दिनांक 14.08.2014 के द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के अनुसरण में लोकहित में जारी किये जाते हैं।

(वीरबाला जोशी)
निदेशक

क्रमांकः– एफ4(ई) (वी–633/86)अलेसे–III/5265-72 दिनांकः– 26.8.14.

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 महानिरीक्षक पुलिस–द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ।
2 निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, जयपुर ।
3 वित्तीय सलाहकार, सिचिंत क्षेत्र विकास विभाग, चम्बल, कोटा ।
4 संयुक्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, ,क्षे0कार्या0 भरतपुर।
5 कोषाधिकारी, दौसा।
6 श्री विष्णु कुमार पाठक,क0लेखाकार {निलम्बित} मुख्यालय. कोषालय, दौसा।
7 निजी सहायक निदेशक महोदया ।
8 गोपनीय शाखा/ पदस्थापन सीट/श्री महेन्द्र गोयल,लेखाकार ।
9 वरिष्ठता/रक्षित पत्रावली ।

(डा0अरविन्द कुमार मिश्रा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–II)